

(८)


इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माण अनुमति-पत्र

यह अनुमति के बन उ० प० सार वियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थात् यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इसके किसी प्रकार या किसी रूपानीय नियम या इसका लालनीय आवारों या व्यक्ति अधिकारों के विविधान अंदराओं पर किसी का कोई अधिकार नहीं। यह अनुमति किसी के मिलिकत या स्वामित्व के अधिकारों के विषय कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रादृश्यन्वयों के अधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती श्री **आमृत शिंह सुनील**
पिता पति का नाम श्री मुहम्मद बाहुदार में वक्ते में
दर्जाते हवात पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रहत्तत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अधिकार निर्धारित करें।



नोट १—यह स्वीकृत अधिकार के बन पात्र वय की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वेच्छा मानचित्र के अनुसार बही किया जाता है तो उसे घिराया जा सकता है। जिसका पूर्ण अधिकार भार प्रार्थी पर होता है। यदि कोई इमारत विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अधिकार पूर्ण तो उसके निर्माणकर्ता को इष्ट दिया जावेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा २७ के अनुसार दण्डनाय होता तथा अधिकार संग्रह द्वारा हटाया जायगा और उसके हटाने के सबंध का भार उस इमारत बनवाने वाले से १० प्रतिशत संश्लेषण के साथ अनुल किया जायेगा।

२—इस अनुमति-पत्र में सड़क, गाड़ी या नाली पर बढ़ा कर पानेकान जैसे किं पौड़ि का, बारजा, लोड़िया, सीढ़ी, दाप नये अथवा पुराने निर्माण को ढोड़कर उस जगह फिर से लगे निर्माण का। स्वीकृत चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई नहीं हो, नहीं प्रदान की जावेगी।

३—मकान निर्माण से बाद नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के निसी भाग (जो मकान के अंतर्वाले पिछावाले अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) की हानि पहुँचे तो यह स्वामी गृह तंथार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा याद विकास प्राधिकरण ने एक लिखित मूल्यान्वयन द्वारा और लोग कहा तो वहले ही उसे अपने बच्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवश्य जिससे विकास प्राधिकरण को सन्दोष हो जाय, में कर देगा।

४—गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होता कि भारतीय विद्युत अधिनियम (१९५६ (हिन्दी अंतर्विद्युति रूप्त १९६५) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे सामने पाये जाये तो यह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटाया जाना होता है।

५—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छढ़ तक वन जाने पर उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान बाबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदाने की सामाजिक सो देना होगा जिसके नियमक्रम में मकान निर्मित हुआ है।

६—यदि निर्माण में मास्टर ब्लान का उल्लंघन होता पूर्ण अद्यता तिर्यकर्ता को दी गई स्वीकृति रूप समझी जावेगी और किया जाय जिसका अनुयायी अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कारबाही की जाएगी।

